रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 —Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2000/अग्रहायण 20, 1922
No. 616] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2000/AGRAHAYANA 20, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2000

सा. का. नि. 912(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा यथानिर्मित और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में लिखित कांडला पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(क) ये विनियम कंडला पार्ट कर्मचारी **(सेवानिवृत्ति)** संशोधन विनियम, 2000 कहे जायेंगे ।

(ख) ये विनियम 31 जनवरी, 2001 अपराह्न से प्रभावी होंगे ।

2. **संशोधन**

(क) कंडला पोर्ट कर्मचारी **(सेवानिवृत्ति)** विनियम, 1978 के विनियम 3(i) (ड) को निम्नवत् पुनः प्रवर्तित और पुनः सम्मिलित किया जाए :-

"(ड) "कर्मकार" का आशय अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अनुबंध "क" में दर्शाए गए प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग के कर्मचारी है ।"

(ख) विनियम 3 के उप विनियम (1) (च) और (छ) को इस प्रकार पुनः प्रवर्तित तथा पुनः सम्मिलित किया जाए ।

(ग) विनियम 4 के उप विनियम (क) के संबंध में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्

"(क) इन विनियमों जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तब तक बोर्ड के सभी कर्मचारी सेवा से उस महीने के अन्तिम दिवस के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे जिस महीने उसकी आयु 58 वर्ष की हो जाए ."

(घ) विनियम 4 के उप विनियम (ख), (ग) तथा (घ) को निम्नवत् पुनप्रवर्तित तथा पुनः सम्मिलित किया जाए ।

"(ख) जो कर्मचारी कामगार है और जो बोर्ड की सेवा में 11 अप्रैल 1974 से पूर्व सम्मिलित हुआ था , वह सेवा से उस महीने के अन्तिम दिवस के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा जिस महीने उसकी आयु 60 वर्ष को हो जाए ।

(ग) चतुर्थ श्रेणी सेवा अथवा पद का कर्मचारी जो बोर्ड की सेवा में 11 अप्रैल 1974 से पहले था, वह सेवा से उस महीने की अंतिम दिवस के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा जिस महीने उसकी आयु 60 वर्ष की हो जाए ।

(घ) जिस कर्मचारी पर उप विनियम 4 (क) लागू होता है किन्तु जो विभागाध्यक्ष नहीं है उसकी सेवा 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अध्यक्ष की संस्वीकृति से बढाई जा सकती है बशर्ते कि इस प्रकार की सेवा की अवधि बढाना लोक हित में हो और इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हो। विभागाध्यक्ष के मामले में सेवा की अवधि बढाने की ऐसी मंजूरी देने की शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है । इस उप विनियम के अधीन विशेष परिस्थितियों को छोडकर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा अवधि बढाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी ।"

स्पष्टीकरण

11 अप्रैल 1974 से पूर्व चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त व्यक्ति, 11 अप्रैल 1974 के बाद उसको किसी दूसरे चतुर्थ श्रेणी पद पर अथवा अनुबंध "क" में कामगार की सूची में शामिल किसी श्रेणी के पद पर नियु[illegible] होने पर 60 वर्ष की [illegible] पर [illegible]

होगा । यदि उसकी नियुक्ति तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुई हो जो अनुबंध "क" में दिए गए कामगार की सूची में शामिल नहीं है तो वह 58 वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्त होगा ।

(ङ) विनियम 4 (ज) के नीचे दी गई टिप्पणी निम्नवत् पुनःप्रवर्तित तथा पुनःसम्मिलित की जाए:

" (v) कर्मचारी जिस तारीख को अट्ठावन वर्ष अथवा साठ वर्ष की आयु, जैसी भी स्थिति हो पूरी करता है, उसका निर्धारण जन्म की उस तारीख के संदर्भ में किया जाएगा जो नियुक्ति के समय कर्मचारी द्वारा घोषित की गई हो और मैट्रिक का प्रमाणपत्र अथवा जन्म रजिस्टर के उद्धरण जैसे यथा संभव संपुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो । कर्मचारी द्वारा इस प्रकार घोषित की गई और समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई जन्म तारीख में उसकी सेवा पुस्तिका तैयार हो जाने के बाद , कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परिवीक्षा अवधि पूरी करने अथवा उसे स्थायीवत् घोषित करने, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में केवल अध्यक्ष की विशिष्ट संस्वीकृति लेकर और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के मामले में विभागाध्यक्ष की विशिष्ट संस्वीकृति लेकर ही बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन केवल तभी किया जा सकता है जब यह प्रमाणित हो जाए कि सेवा पुस्तिका में जन्म की तारीख दर्ज करते समय वस्तुतः लिपिकीय भूल हो गई थी ।

(च) विनियम 4 (ज) की टिप्पणी (vi) को निम्नवत् पुनः प्रवर्तित तथा पुनः सम्मिलित किया जाए :-

"(vi) कर्मचारी, जिसकी जन्म की तारीख महीने की पहली तारीख हो, वह पूर्ववर्ती महीने की अंतिम तारीख को अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा जिस महीने वह अट्ठावन वर्ष अथवा साठ वर्ष की आयु , जैसी भी स्थिति हो, पूरी कर लेता है ।"

(छ) विनियम 4 के उप विनियम (ङ), (च), (छ) तथा (ज) को इस प्रकार पुनः प्रवर्तित तथा पुनः सम्मिलित किया जाए ।

[फा. सं. पी आर-12016/54/2000-पीई-I]

के वी राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण -

मुख्य विनियम दिनांक 2.1.1981 को अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यू/पीईक/51/78 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे गुजरात सरकार के दिनांक 5.2.1981 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF SHIPPING
(Ports Wing)

NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2000

G.S.R. 912 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with sub-section (I) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Retirement) Amendment Regulation, 2000 as made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the schedule annexed to this notification.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of trustees of the Port of Kandla, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations :—

1. Short title and commencement :

(a) These regulations may be called the Kandla Port Employees' (Retirement) Amendment Regulations, 2000

(b) The shall come into force from 31-01-2001 afternoon.

2. Amendment :

(a) Regulation 3(1)(e) of the Kandla Port Employees' (Retirement) Regulations, 1978shall be revived and reincorporated as under:

"(e) 'workman' means an employee of one of the Categories shown in Annexure-A to these regulations".

(b) Sub-Regulation (1)(f) and (g) of Regulation 3 shall be revived and reincorporated as such.

(c) For Sub-Regulation (a) of Regulation 4, the following shall be substituted, namely

"(a) Except as otherwise provided in these regulations, every employee of the Board shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he/she attains the age of 58 years".

(d) Sub-Regulation (b), (c) and (d) of Regulation 4 shall be revived and reincorporated as under:

"(b) An employee who is a workman and who entered the Board's service before 11th April, 1974, shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years.

(c) An employee in Class-IV service or post, who was in the service of the Board before 11th April, 1974, shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he/she attains the age of 60 years.

(d) An employee to whom sub-regulation 4(a) applies but who is not a Head of a Department, may be granted extension of service after he/she attains the age of fifty-eight years with the sanction of the Chairman if such extension is in the public interest and the grounds therefor are recorded in writing. In the case of a Head of Department, the power to grant such extension of service shall be exercisable by the Central Government after consultation with the Chairman. No extension under this sub-regulation shall be granted beyond the age of 60 years except in very special circumstance".

Explanation:

A person appointed to a Class-IV post before 11th April, 1974, on his appointment after 11th April, 1974 to another Class-IV post or to any category of post included in the list of workmen at Annexure "A", shall retire at the age of 60 years. If he/she is appointed to a Class-III category which is not one of the categories in the list of workmen at Annexure "A", he/she shall retire at the age of 58 years.

(e) Note (v) below Regulation 4(h) shall be revived and reincorporated as under:

"(v) The date on which an employee attains the age of fifty eight years or sixty years, as the case may be, shall be determined with reference to the date of birth declared by the employee at the time of his appointment and accepted by the appropriate authority on production as far as possible of confirmatory documentary evidence such as matriculation certificate or extracts from the birth register. The date of birth so declared by an employee and accepted by the appropriate authority shall not be subject to any alteration after the preparation of his service book and in any event after the completion of probation period or declaration of quasi-permanency, whichever is earlier. An alteration in the date of birth of an employee can be made at a later stage only with the specific sanction of the Chairman in the case of a Class-I or Class-II employee, and of the Head of a Department in the case of a Class-III or Class-IV employee, if it is established that a bona fide clerical mistake had been committed in recording the date of birth in the service book"

(f) Note (vi) of regulation 4(h) shall be revived and reincorporated as under:

"(vi) An employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-eight or sixty years, as the case may be".

(g) Sub-Regulations (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4 shall be revived and reincorporated as such

[F. No. PR-12016/54/2000–PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note: The principal regulation was approved vide Notification No. PW/PEK/51/78 dated 02-01-1981 published in the Gazette of Government of Gujarat dated 05-02-1981.